

जी हां,

उ०प्र० लोक सेवा आयोग में महिला कर्मियों की कुल संख्या-०७७ है।

कार्मिक विभाग के शासनादेशों में राज्याधीन सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर महिलाओं के लिए २० प्रतिशत हारिजेन्टल आरक्षण की व्यवस्था की गयी है।

उक्त व्यवस्था के अंतर्गत यू०पी० पी०एस०सी० की परिधि में आने वाले सीधी भर्ती के समस्त रिक्त पदों पर अभियान चला कर भर्ती की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कराते हुए महिलाओं की संख्या बढ़ाई जायेगी।

उपरोक्तानुसार

योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री
कार्मिक विभाग